

1702  
25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान के हिरसानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादी ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कोटार पटवार हल्का कोटार तहसील वाली के खसरा नंबर 976/145 रकबा 12960 हैक्टैयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक-पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टैयर)	किरम	लगान	रंग
1	पपूराम पुत्र गोपालराम कॉम विश-नोई 1/3 परसराम विश-नोई पुत्र रामसिंह विश-नोई 1/3 ओ. पी. विश-नोई स्व. भदरलाल कॉम विश-नोई 1/3 सा. बिलाडा जोधपुर	976/145	1.11	बा.सो.	4.44	करारिया
	योग	01	1.11	बा.सो.	4.44	
2	अर्जुनसिंह पुत्र श्यामसिंह कॉम राजपूत 19/372 जगतसिंह पुत्र श्यामसिंह कॉम राजपूत 19/372 जोरसिंह पुत्र खीमसिंह कॉम राजपूत 37/186 नरपतसिंह पुत्र श्यामसिंह कॉम राजपूत 37/186 प्रतापसिंह पुत्र थानसिंह कॉम राजपूत 55/186 लालसिंह पुत्र श्यामसिंह कॉम राजपूत 19/372 विलास कुंवर पत्नी जोरसिंह कॉम राजपूत 19/186	976/145/1	0.1860	बा.सो.	0.74	हरा
	योग	01	0.1860	बा.सो.	0.74	

तहसीलदार वाली को इसी अनुरार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्या जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपसंह अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. ओ.पी. विश्‍नोई पुत्र भंवरलाल
2. पपूराम पुत्र गोपाल राम
3. परसराम विश्‍नोई पुत्र रामसिंह विश्‍नोई जाति विश्‍नोई निवासी जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जोरसिंह पुत्र खीमसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र श्यामसिंह
3. प्रतापसिंह राजपूत पुत्र थानसिंह
4. राजकुंवर पत्‍नि श्यामसिंह
5. लालसिंह पुत्र श्यामसिंह
6. विलास कुंवर पत्‍नि जोरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली(राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gems No. 2024 / 313

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्‍तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्‍ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व परोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्‍वीकार किया जाकर ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 976/145 रकबा 1.2960 हैक्‍टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्‍टेयर)	किस्‍म	लगान	रंग
1	पूराम पुत्र गोपालराम कॉम विश्‍नोई 1/3 परसराम विश्‍नोई पुत्र रामसिंह विश्‍नोई 1/3 ओ.पी. विश्‍नोई स्व. भंवरलाल कॉम विश्‍नोई 1/3 सा. बिलाडा जोधपुर	976 / 145	1.11	बा.सो.	4.44	केसरिया
	योग	01	1.11	बा.सो.	4.44	
2	अर्जुनसिंह पुत्र श्यामसिंह कॉम राजपूत 19/372 जगतसिंह पुत्र श्यामसिंह कॉम राजपूत 19/372 जोरसिंह पुत्र खीमसिंह कॉम राजपूत 37/186 नरपतसिंह पुत्र श्यामसिंह कॉम राजपूत 37/186 प्रतापसिंह पुत्र थानसिंह कॉम राजपूत 55/186 लालसिंह पुत्र श्यामसिंह कॉम राजपूत 19/372 विलास कुंवर पत्‍नी जोरसिंह कॉम राजपूत 19/186	976 / 145 / 1	0.1860	बा.सो.	0.74	हरा
	योग	01	0.1860	बा.सो.	0.74	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्‍न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बसबा में दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/2/2025 को जारी की गई।



(दिनेश विश्‍नोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
बइजलास अधिकारी, बाली